न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 145/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

अनिता देवी वगैरह ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

मुन्ना मंडल वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

11-11-24

थाना प्रभारी सरिया के अप्राथमिकी सं.- 11/2024 दिनांक 07.09.2024 द्वारा भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत प्रेषित प्रतिवेदन के अवलोकन से संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले विवादग्रस्त भूमि -

मौजा- नगर केशवारी, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह

(1) खाता नं0- 63, प्लॉट नं0- 2099, 2100, 2101 कुल रकबा- 19.5 डी0

चौहद्दी: उ0- तिलवा सुण्डी द0- हीरामण सुण्डी

पू0- टांड हीरामण सुण्डी प0- रास्ता

(2) खाता नं0- 34, प्लॉट नं0- 2102, रकबा- 2.75 डी0

चौहद्दी: उ0- निज अनीता देवी द0- हीरामण सुण्डी

पू0- निज टांड़ प0- रास्ता

(3) खाता नं0- 106, प्लॉट नं0- 3079, रकबा- 12 डी0

चौहद्दी: उ0- रास्ता द0- परती कदीम

पू0- बढ़न मंडल प0- गोविन्द मंडल

(4) खाता नं0- 69, प्लॉट नं0- 3081, रकबा- 17 डी0

चौहद्दी: उ0- रास्ता द0- परती टांड़

पू0- गोविन्द महतो प0- टेको महतो

(5) खाता नं0- 70, प्लॉट नं0- 2136, रकबा- 4.75 डी0

चौहद्दी: उ0- तुलवा सुण्डी

द0- सैनाथ सिंह का परती जमीन

पू0- रेवा सुण्डी का परती जमीन

प0- जेलिया सुण्डी का परती जमीन

पर दिनांक 13.09.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत किया तथा उभय पक्ष को उक्त जमीन पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया। नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा कारण पृच्छा दाखिल किए। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि उन्हें उनकी माँ से निबंधित दानपत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ तथा उक्त जमीन का अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज करवा कर वे लगान रसीद प्राप्त कर रही है। उनका यह भी कहना है कि जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं.- 112 भाग सं.- 08 पर कायम है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करते है :-

(1) निबंधित दानपत्र 5925 की छायाप्रति;

(2) वर्ष 2024-25 तक निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति;

(3) ऑनलाइन पंजी-II की छायाप्रति;

वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष ने कारण पृच्छा का लिखित जबाब दाखिल कर बतलाया है कि वादग्रस्त भूमि उन्हें एग्रीमेन्ट (10.01.2014) के सहारे हासिल है। प्रथम पक्ष ने उन्हें एग्रीमेन्ट कर जमीन की बिक्री की है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एग्रीमेन्ट की छायाप्रति प्रस्तुत करते हैं।

उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि 5 (पाँच) भिन्न विवरण की है। द्वितीय पक्ष का एग्रीमेन्ट खाता सं.- 106 प्लॉट नं0- 3079 रकबा- 12 डी0 तथा खाता सं.- 69 प्लॉट नं.- 3081 रकबा 17 डी0 से संबंधित है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत निबंधित दानपत्र तथा ऑनलाइन रसीद से प्रथम पक्ष का दावा विवादित भूमि पर अधिक मजबुत प्रतीत होता है। वही दुसरी ओर मात्र एग्रीमेन्ट के जरिए जो कि दो प्लॉट से संबंधित है द्वितीय पक्ष के द्वारा संपूर्ण विवादग्रस्त जमीन पर दावा किया जाना वैध अथवा न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अत: वर्णित परिप्रेक्ष्य में नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त (vacate) तथा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष (Absolute) घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष तथा थाना प्रभारी सरिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

11-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

11-11-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.03 17:16:46 +05:30
Location: 192.168.1.2